

**बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,  
कौटिल्य नगर, पटना-14.  
निविदा सूचना संख्या- 5/2017**

फोन नं०- 2223727  
फैक्स नं०-2224529

1.	निविदाकर्ता का पदनाम	:	मुख्य अभियंता, पटना ।			
2.	निविदा प्रकाशन की तिथि	:	04-02-2017			
3.	निविदा कागजात बिक्री की अन्तिम तिथि एवं समय	:	20-2-2017 को अपराहन 17.00 बजे तक ।			
4.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	:	23-2-2017 को अपराहन 15.00 बजे तक ।			
5.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	23-2-2017 को 15.30 बजे अपराहन से ।			
6.		:	परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान पर, जो वापस नहीं किया जाएगा ।			
7.	परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान	:	(क)	पुलिस निगम, मुख्यालय ।		
			(ख)	पुलिस महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना ।		
			(ग)	निविदा सम्बन्धित प्रमण्डल से भी बिक्री होगी ।		
8.	निविदा प्राप्ति का स्थान	:	1.	(क)	रु० 3.50 लाख से नीचे के कार्य की निविदा संबंधित प्रमण्डल में तथा उपर के कार्य की निविदा मुख्य अभियंता, पटना के कार्यालय में प्राप्त की जायगी ।	
				(ख)	रु० 3.50 लाख से उपर के कार्य की निविदा पुलिस महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना ।	
9.	सभी निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी ।					
10.	निर्माण कार्य का व्यौरा	:				
क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु. में)	अग्रधन की राशि रु. में।	परिमाण विपत्र का मूल्य रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि	श्रेणी (कैटेगरी)
1.	भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर पुलिस केन्द्र में एच०बी०-18 आवास का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य	3.25	6500	750	1 माह	अति पिछड़ा वर्ग
2.	भागलपुर जिलान्तर्गत सी०टी०एस०नाथनगर में मनोरंजन गृह का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मत कार्य	9.11	18300	1250	1 माह	सामान्य
3.	बक्सर जिलान्तर्गत नावानगर थाना प्रभारी के आवासीय भवन का मरम्मत कार्य	2.52	5100	500	1 माह	अनुसूचित जाति
4.	कैमूर जिलान्तर्गत कुछिला थाना में 2 अदद शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण कार्य	2.30	4600	500	1 माह	सामान्य
5.	समस्तीपुर जिलान्तर्गत सरायरंजन थाना में थाना भवन का मरम्मत कार्य	6.45	12900	1250	1 माह	अति पिछड़ा वर्ग
6.	समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के आवासीय भवन का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य	9.36	18800	1250	1 माह	सामान्य
7.	पटना जिलान्तर्गत विधान परिषद एनेक्सी के बगल में गेट नं०-12 के पास सशस्त्र संतरी ड्यूटी हेतु संतरी पोस्ट का निर्माण कार्य	1.72	3500	500	1 माह	पिछड़ा वर्ग
8.	भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर पुलिस लाईन में ओ०बी०यू०एस० आवास में सबमर्सेबल बोरिंग अधिष्ठापन कार्य	1.99	4000	500	1 माह	सामान्य

9.	कैमूर जिलान्तर्गत कुढ़नी थाना में थाना/बैरक कारंग-रोगन, खिड़की का शीशा, वायरिंग, पहुँच पथ, चहारदिवारी का मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	3.98	8000	750	1 माह	अनुसूचित जाति
10.	बेगुसराय जिलान्तर्गत पुलिस लाईन, बेगुसराय में 12 लोअर सबोर्डिनेट आवास (ब्लॉक-एफ) का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	4.47	9000	750	1 माह	अनुसूचित जाति
11.	बेगुसराय जिलान्तर्गत मुफ्फसिल थाना कैम्पस में अनुसचिवीय कर्मियों के आवासीय भवन (ब्लॉक-सी) का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	6.35	12700	1250	1 माह	अनुसूचित जाति
12.	समस्तीपुर जिलान्तर्गत अनुमंडलीय कारा रोसड़ा में सर्वर रूम का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य (Type-C) (पुनर्निविदा)	2.68	5400	750	1 माह	अनुसूचित जाति
13.	खगड़िया जिलान्तर्गत पुलिस लाईन, खगड़िया में मैगजीन भवन का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	3.78	7600	750	1 माह	अति पिछड़ा वर्ग
14.	समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर थाना में 4 अपर सबोर्डिनेट आवास में विद्युतिकरण कार्य (पुनर्निविदा)	2.68	5400	750	1 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
15.	गोपालगंज जिलान्तर्गत श्रीपुर ओपी0 में 2 लोअर सबोर्डिनेट आवास (ब्लॉक-B) का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	4.40	8800	750	1 माह	अति पिछड़ा वर्ग
16.	रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर थाना में एक अदद वाच टावर एवं दो अदद मोर्चा का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	8.27	16600	1250	4 माह	अनुसूचित जाति
17.	पुर्णियाँ जिलान्तर्गत मीरगंज थाना में महिला पुलिस कर्मियों हेतु शौचालय-सह-स्नानागार का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	2.23	4500	500	1 माह	सामान्य
18.	अररिया जिलान्तर्गत सिकटी थाना भवन का मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	2.02	4100	500	1 माह	अनुसूचित जाति
19.	किशनगंज जिलान्तर्गत कोढोवाड़ी थाना भवन का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	3.34	6700	750	1 माह	अनुसूचित जन जाति
20.	सहरसा जिलान्तर्गत पुलिस अधीक्षक सहरसा के आवासीय परिसर में वाटर सप्लाई का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	1.96	4000	500	1 माह	सामान्य
21.	कटिहार जिलान्तर्गत पोठिया थाना में थाना भवन का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	2.19	4400	500	1 माह	सामान्य
22.	पुर्णियाँ जिलान्तर्गत कसवा थाना में थाना भवन का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	8.50	17000	1250	1 माह	अनुसूचित जाति
23.	पुर्णियाँ जिलान्तर्गत पुलिस अधीक्षक के कैम्पस में सिपाही बैरक का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	1.15	2300	500	1 माह	अति पिछड़ा वर्ग
24.	सुपौल जिलान्तर्गत सदर थाना में औफिसर आवास (ब्लॉक सी) का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	3.09	6200	750	1 माह	पिछड़ा वर्ग
25.	मधेपुरा जिलान्तर्गत मुरलीगंज थाना में ए0 एस0 आई0 आवास (ब्लॉक-1) का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	2.11	4300	500	1 माह	अनुसूचित जाति
26.	सहरसा जिलान्तर्गत पुलिस लाईन, सहरसा में बैरक नं0-2 का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	3.30	6600	750	1 माह	अनुसूचित जाति
27.	अररिया जिलान्तर्गत बौंसी थाना भवन का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	4.32	8700	750	1 माह	सामान्य

28.	सहरसा जिलान्तर्गत पुलिस लाईन, सहरसा में परिचारी प्रवर आवास के प्रांगण में गैरेज-सह-चालक भवन का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य(पुनर्निविदा)	1.49	3000	500	1 माह	सामान्य
29.	कटिहार जिलान्तर्गत पुलिस लाईन में महिला बैरक का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	2.31	4700	500	1 माह	सामान्य
30.	सहरसा जिलान्तर्गत पुलिस लाईन, सहरसा में बैरक नं०-4 का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	3.32	6700	750	1 माह	अति पिछड़ा वर्ग

11. निविदा वैधता की अवधि 180 दिन होगी ।
12. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निवदादाता की निविदा अमान्य मानी जायगी । परिमाण विपत्र की दर से कम दर देने वाले निविदादाता से Additional Performance gurantee रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि लिया जायेगा ।
13. इस निविदा की अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यावधि में देखी जा सकती है । इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क भी तदनुसार किया जा सकता है ।
14. अग्रधन की राशि 6/5 वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र (आठवां निर्गम)/ बैंक ड्राफ्ट एवं किसान विकास-पत्र जो कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियन्ता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो, उपरोक्त कड़िका सं०-4 में अंकित तिथि तक का बना हुआ ही मान्य होगा । पर्याप्त अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी ।
15. परिमाण-विपत्र बिक्री के समय सम्वेदक निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे एवं उनकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :-आयकर पैन नं०,बिक्रीकर निबंधन उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र तथा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र । निविदा के साथ भी उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण- पत्रों की पठनीय अभिप्रमाणित फोटो प्रति देना अनिवार्य है । अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी । अद्यतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा ।
16. लोक सेवक निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।
17. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ ही दर प्रक्रमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।
18. निगम द्वारा अनुमोदित विशिष्टि का सीमेंट एवं स्टील सम्वेदक स्वयं आपूर्ति करेंगे । सीमेंट आई०एस० 8112 -1989, आई०एस० 455-1989 छड़ बी०आई०एस० 1786 के अनुरूप होना चाहिए तथा आई०एस०ओ० 9001/ 9002, आई०एस०ओ० 14001-1996 प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
19. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायगी ।
20. किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार निगम को सुरक्षित होगा ।
21. कार्य की प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण-विपत्र के अनुसार अग्रधन की राशि देय होगी ।
22. अग्रधन के संबंध में तथा अन्य शर्तें परिमाण विपत्र के साथ दस्तावेज में देखी जा सकती है ।
- 23(क) आरक्षित कोटे की निविदा में भाग लेने हेतु कार्य की प्राक्कलित राशि के अनुरूप समुचित श्रेणी में यथा प्राक्कलित ठीकेदारी पंजीकरण कराना निगम में आवश्यक होगा, जिसका पंजीकरण शुल्क 3000/- (तीन हजार रुपये) होगी । इस श्रेणी में निबंधित संवेदक 15.00 लाख तक की निविदा में ही भाग ले सकते हैं । जो संवेदक पूर्व से निगम में निबंधित हैं एवं आरक्षित कोटि के हैं, वे निविदा में भाग ले सकते हैं । उन्हें पुनः निबंधन कराना अनिवार्य नहीं होगा ।
- 23(ख) अन्य सरकारी विभाग यथा- सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपकर्म, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के निबंधित सम्वेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा । अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।
24. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :- (i) डिवार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर लिए हों, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किए हों ।
25. विद्युतीकरण कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा । विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
26. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि या निविदा प्राप्ति/खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वतः निश्चित समझा जायेगा ।

27. परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपरोक्त कंडिका सं0-3 में अंकित तिथि तक का ही बना हुआ स्वीकार होगा, जो महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के नाम हो एवं पटना में भुगतये हो ।
28. सभी गैर-अनुसूचित मर्दों का दर ( शून्य या अस्पष्ट दर नहीं भरना है ) संवेदक द्वारा यथोचित स्थान पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा । इसके अभाव में निविदा अमान्य मानी जायगी ।
29. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है ।
30. निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे एवं यथा निदेशित अभिलेखों पर हस्ताक्षर करेंगे ।
31. निविदा कागजात अध्याय-6 कंडिका-6.11 में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए सभी कागजातों की विवरणी अंकित करना अनिवार्य है अन्यथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा ।
32. निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा एवं संलग्न सभी कागजातों पर वार्ये तरफ हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।
33. अनुसूचित जाति, अनुसूचित अनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के एक संवेदक को एक वित्तीय वर्ष में उक्त प्रावधानों के अधीन सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्य की अधिकतम सीमा रू0 25.00 लाख (पच्चीस लाख) होगी । इस हेतु संबंधित निविदादाता को एक शपथ पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में बिषयांकित प्रावधान के आधार पर अब तक उन्हें आवंटित सभी कार्यों की कुल राशि की शपथ पत्र ( Affidavit ) देना अनिवार्य होगा ।
34. नियमानुसार अंकित कमांक कोटिवार आरक्षण के तहत आरक्षित किया जाता है । सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति तथा शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । निविदाकार द्वारा दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा बिषयांकित सुविधा से उन्हें हमेशा के लिए बंचित कर दिया जाएगा ।

4/2/17  
मुख्य अभियंता  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 517 (A)

पटना, दिनांक- 04-02-2017

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल- मगध प्रमंडल, कैम्प-डेहरी, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, कैम्प-हाजीपुर, भागलपुर, पटना, दरभंगा, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक किर्तार्थ प्रेषित ।

4/2/17  
मुख्य अभियंता  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 517 (A)

पटना, दिनांक- 04-02-2017

प्रतिलिपि- मुख्य तकनीकी परामर्शी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल- 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/ कार्यपालक अभियंता, प्रमंडल- राजगीर / मोनिटरिंग/विद्युत/सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण-1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4/2/17  
मुख्य अभियंता  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 517 (A)

पटना, दिनांक- 04-02-2017

प्रतिलिपि- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, बक्सर, भागलपुर, कैमूर, बेगुसराय, खगड़िया, गोपालगंज, रोहतास, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, सहरसा, एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

4/2/17  
मुख्य अभियंता  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।